न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- अनिल कुमार अग्रवाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर

अपील (प्रकरण) संख्या :- 10/2020 जीसीएमएस न0 2020/00020

उनवानी प्रकरण :-

महावीर सिंह उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बसईडांग 1/2 भाग तहसील बाडी जिला धौलपुर राज0 ------------ अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी धौलपुर ---------- रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद निर्णय जिला रसद अधिकारी धौलपुर मु0न0 4/2019 उनवानी सरकार बनाम महावीर सिंह निर्णय दिनांक 14.05.2020

उपस्थिति :-

अपीलान्ट की ओर से :- श्री शरीफ खांन एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट की ओर से :- दिव्या कमठान सहा0 लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी

निर्णय

दिनांक 25.07.2022

अपीलान्ट द्वारा यह अपील जिला रसद अधिकारी धौलपुर के निर्णय दिनांक 14.05.2020 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की है। संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 09.01.2019 को श्री महेश सिंह कंसाना जिला उपध्याक्ष जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर द्वारा रेस्पोडेण्ट के कार्यालय में अपीलान्ट उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बसईडांग तहसील बाडी के विरूद्व शिकायत प्रस्तुत की, शिकायत की जांच रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक सुश्री समीक्षा दिनकर द्वारा करायी गयी जिसने निम्न अनियमिततायें पाई गईः-

1-उचित मूल्य दुकानदार द्वारा प्रति दो माह में राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं के राशन कार्डो का अवलोकन करने पर माह नवम्बर 18 एवं दिसम्बर 18 दो माह के राशन का वितरण एक माह दिसम्बर में किया गया है।

2-जॉच में उपभोक्ताओं को केरोसीन नहीं दिया गया है जबकि पॉस मशीन से केरोसीन के ट्रान्जेक्शन किया जाना पाया गया।

3-अन्त्योदय राशन कार्ड धारियों को चीनी नहीं दी गयी है जबकि पॉस मशीन से चीनी का ट्रान्जेक्शन किया जाना पाया गया है।

अपीलार्थी अनुसार उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत राजस्थान खाद्यान अधिनियम 1976 द्वारा प्रदत्त प्राधिकार पत्र की शर्तो का उलंघन करने पर रेस्पोडेण्ट द्वारा दिनांक 22.01.2019 को अपीलाण्ट एफ पी एस डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बन किया

गया। अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेण्ट के समक्ष जबाव प्रस्तुत किया उसके पश्चात भी बिना सुनवाई का मौका दिये व बिना गवाहान लिये दिनांक 14.05.2020 को रेस्पोडेण्ट द्वारा अपीलाण्ट डीलर का प्राधिकार पत्र संख्या 260/1992 निरस्त कर दिया जिससे असन्तुष्ट होकर अपील अपीलाण्ट ने अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

अपीलाण्ट अनुसार जबाव दिनांक 28.01.2019 को रेस्पोडेण्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि उसके पास 2 दुकानों के गेहूं का स्टॉक था माह नवम्बर के पेटे के तहत दोनो दुकानों का गेहूं दिनांक 30.11.2018 को मिला व पिछला शेष मिला कर कुल 194.15 किलो ग्राम स्टाक में था। दिनांक 04.12.2018 से पॉस मशीन में आमद हुआ तथा दिनांक 05.12.2018 में राशन वितरित किया गया। अपीलाण्ट द्वारा पॉस मशीन में अंगूठा लगाने पर सभी उपभोक्ताओं को केरोसिन दिया गया क्योंकि पॉश मशीन द्वारा वितरण किया जाता है। कुछ उपभोक्ता अपीलाण्ट से विना कार्डो के भी केरोसीन ले जाते है जिनकी कार्डो में एन्ट्री नहीं हो पाती है बिना उपभोक्ता के अंगूठा लगाये पॉश मशीन में एन्ट्री नहीं हो पाती है ऐसे में उपभोक्ताओं का यह कहना कि बिना उनकी जानकारी के पॉश मशीन में दर्ज हो गया गलत है जिसे रेस्पोडेण्ट द्वारा नहीं मानना एक बहुत बडी कानूनी भूल है। अपीलान्ट को अन्तिम बार चीनी दिनांक 23.05.2018 को 50 किलो ग्राम मात्र अन्त्योदय परिवारो को वितरण हेतु प्राप्त हुयी उसके बाद कोई भी चीनी स्टॉक अपीलाण्ट को प्राप्त नहीं हुआ जिसका वितरण अपीलाण्ट द्वारा तथा समय अन्त्योदय कार्ड धारियों को किया गया जवकि बीपीएल वालो को राज्य सरकार द्वारा चीनी वितरण हेतु आवंटित नहीं की जाती। प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी जॉच में शिकायतकर्ता के राशन कार्ड ऑन लाइन जॉच किये गये जिसमें सभी शिकायतकर्ताओ को नवम्बर और दिसम्बर दोनो माह की राशन सामग्री एक साथ दी गयी जाना पाया गया इस प्रकार जॉच दिनांक 22.01.2019 की मद संख्या 1 से यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा जो निर्णय की मद संख्या 1 बावत रेस्पोडेण्ट द्वारा आक्षेप लगाया गया है कि नवम्बर 2018 व दिसम्बर 2018 का वितरण एक साथ इसलिये किया गया कि नवम्बर का गेहूं स्टॉक दिनांक 30.11.2018 को प्राप्त हुआ व दिनांक 04.12.2018 को पॉश मशीन को उसकी आमद हुयी। इस प्रकार नवम्बर व दिसम्बर का गेहूं वितरण दिनांक 05.12.2018 से अपीलाण्ट द्वारा किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक की रिर्पोट दिनांक 22.07.2019 व जबाव टिप्पणी प्रर्वतन निरीक्षक दिनांक 11.05.2020 से यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा गेहूं का समुचित वितरण किया गया। रेस्पोडेण्ट के पास प्राप्त प्रर्वतन निरीक्षक की दोनो रिर्पोट दिनांक 22.01.2019 व दिनांक 11.05.2020 से यह स्पष्ट है कि पॉश मशीन से केरोसीन का ट्राजेक्शन किया गया व उपभोक्ताओं को दिया गया प्रर्वतन निरीक्षक की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि चीनी का वितरण भी अपीलाण्ट द्वारा पात्र व्यक्तियों को समय पर किया गया। रेस्पोडेण्ट द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्व एक राजनीतिक पार्टी के जिला उपाध्यक्ष के सत्ता के दबाव में आकर झूंठी शिकायत पर कार्यवाही की गयी जबकि अपीलाण्ट ने यथा समय रेस्पोडेण्ट के समक्ष जबाव प्रस्तुत किया व शिकायतकर्ता द्वारा जिन राशन कार्ड धारियों की ओर से झूंठी शिकायत की गयी उन्होने अपना शपथ पत्र व अपने राशन कार्ड की फोटो प्रति रेस्पोडेण्ट के समक्ष प्रस्तुत की परन्तु रेस्पोडेण्ट राजनितिक दबाव के चलते स्वच्छ न्याय करने की स्थिति में नजर नहीं आये। अपीलाण्ट ने

रेस्पोडेण्ट के निलम्बन आदेश को माननीय उच्च न्यायालय को चुनोती दी जिसको माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश दिनांक 19.09.2019 की पालना में अपीलाण्ट को राशन वितरण व उठाव के आदेश दिये जाकर रेस्पोडेण्ट को निर्देशित किया कि वह अपीलाण्ट का उठाव व वितरण सुनिश्चित करें तथा माननीय उच्च न्यायालय दिनांक 19.09.2019 के बाद से राशन सामग्री वितरण का कार्य कर रहा था। माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन के पश्चात अपीलाण्ट को रेस्पोडेण्ट द्वारा यह कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय तक पत्रावली लम्बित रहेगी और यदि कोई कार्यवाही वांछित होगी तो अपीलाण्ट को सूचित कर दिया जायेगा। रेस्पोडेण्ट द्वारा बिना कोई नोटिस जारी किये राजनितिक दबाव में आकर मात्र एक औपचारिक जबाव टिप्पणी रिर्पोट दिनांक 11.05.2020 प्रवर्तन निरीक्षक बाडी से प्राप्त कर अपीलाण्ट को बिना सुनवायी व सुचना दिये अपीलाण्ट का माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश होने के पश्चात भी प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया जो कि रेस्पोडेण्ट का मनमानी पूर्वक व राजनितिक दबाव से प्रेरित निर्णय है जो की अपास्त किये जाने योग्य है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.05.2020 अपास्त किया जाकर अपीलान्ट डीलर का प्राधिकार पत्र संख्या 260/1992 बहाल किये जाने का अनुरोध किया।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के साथ अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.2020, प्रा0पत्र नोटिस का जबाव प्रस्तुत किये जाने बावत दि0 10.10.2019, जबाव नोटिस दिनांक 28.01.2019, जॉच प्रर्वतन निरीक्षक दिनांक 22.01.2019, जबाव टिप्पणी प्रवर्तन निरीक्षक बाडी दि0 11.05.2020, आदेश दिनांक 25.09.2019 जिला रसद अधिकारी धौलपुर, शपथ पत्र रामवरन मय राशन कार्ड, शपथ पत्र जण्डेलसिंह मय राशन कार्ड, शपथ पत्र श्रीलाल मय आधार कार्ड, शपथ पत्र रामअवतार मय राशन कार्ड, शपथ पत्र रामनिवास मय राशन कार्ड, शपथ पत्र रामनारायण मय राशन कार्ड, शपथ पत्र होतम सिंह मय राशन कार्ड, शपथ पत्र सियाराम मय राशन कार्ड की प्रमाणित प्रतियॉ पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया कि उन्हें इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से दिव्या कमठान सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर अपील की पत्रावली के साथ संलग्न की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट के पास 2 दुकानों के गेहूं का स्टॅाक था माह नवम्बर के पेटे के तहत दोनो दुकानों का गेहूं दिनांक 30.11.2018 को मिला व पिछला शेष मिला कर कुल 194.15 किलो ग्राम स्टाक में था। दिनांक 04.12. 2018 से पॉस मशीन में आमद हुआ तथा दिनांक 05.12.2018 में राशन वितरित किया गया। अपीलाण्ट द्वारा पॉस मशीन में अंगूठा लगाने पर सभी उपभोक्ताओं को केरोसिन दिया गया क्योंकि पॉश मशीन द्वारा वितरण किया जाता है। अपीलान्ट को अन्तिम बार चीनी दिनांक 23.05.2018 को 50 किलो ग्राम मात्र अन्त्योदय परिवारो को वितरण हेतु प्राप्त

हुयी उसके बाद कोई भी चीनी स्टॉक अपीलाण्ट को प्राप्त नहीं हुआ जिसका वितरण अपीलाण्ट द्वारा तथा समय अन्त्योदय कार्ड धारियों को किया गया जबकि कैरोसिन दारा को राज्य सरकार द्वारा चीनी वितरण हेतु आवंटित नहीं की जाती। प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी जॉच में शिकायतकर्ता के राशन कार्ड ऑन लाइन जॉच किये गये जिसमें सभी शिकायतकर्ताओ को नवम्बर और दिसम्बर दोनो माह की राशन सामग्री एक साथ दी गई जाना पाया गया। नवम्बर 2018 व दिसम्बर 2018 का वितरण एक साथ इसलिये किया गया कि नवम्बर का गेहूं स्टॉक दिनांक 30.11.2018 को प्राप्त हुआ व दिनांक 04.12.2018 को पॉश मशीन को उसकी आमद हुयी। इस प्रकार नवम्बर व दिसम्बर का गेहूं वितरण दिनांक 05.12.2018 से अपीलाण्ट द्वारा किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 22.07.2019 व जबाव टिप्पणी प्रर्वतन निरीक्षक दिनांक 11.05.2020 से यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा गेहूं का समुचित वितरण किया गया। रेस्पोडेण्ट द्वारा बिना कोई नोटिस जारी किये राजनितिक दबाव में आकर मात्र एक औपचारिक जबाव टिप्पणी रिपोर्ट दिनांक 11.05.2020 प्रर्वतन निरीक्षक बाडी से प्राप्त कर अपीलाण्ट को बिना सुनवायी व सूचना दिये अपीलाण्ट का माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश होने के पश्चात भी प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया जो कि रेस्पोडेण्ट का मनमानी पूर्वक व राजनितिक दबाव से प्रेरित निर्णय है जो की अपास्त किया जावे।

रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्ट के विरूद्व शिकायत की जॉच प्रवर्तन निरीक्षक सुश्री समीक्षा दिनकर द्वारा मौके पर जाकर की गई है। अपीलार्थी द्वारा राशन वितरण में अनियमितताएं करने के कारण राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन करने पर कार्यालय के आदेश कमांक 132 दिनांक 22.01.2019 द्वारा निलंबित किया गया। अपीलार्थी द्वारा पोस मशीन से दो वार गेहूँ का वितरण किया जाना पाया गया जबकि राशन कार्डो में एक वार अंकन हो रहा है एंव गेहूँ के साथ ही कैरोसिन का ट्रांजेक्शन किया है जो उपभोक्ताओं को नहीं दिया गया है तथा चीनी का ट्रांजेक्शन भी पोश मशीन से किया जाना एवं राशन कार्डो में इन्द्राज नहीं कर उपभोक्ताओं को नहीं दिया जाना पाया गया। अपीलाण्ट को कार्यालय से जारी नोटिस की तामील अपीलान्ट पर विधिवत हुई है तथा सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है। राशन वितरण में अनियमितताऐं प्रमाणित होने पर उसको जारी प्राधिकार पत्र संख्या 260/1982 जिला रसद अधिकारी धौलपुर के आदेश दिनांक 14.05.2020 के द्वारा निरस्त किया गया है। आदेश दिनांक 14.05.2020 सही है इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.05.2020 यथावत रखा जावे ।

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि माह नवम्वर का गैहू 30.11.2018 को दिसम्बर माह का 4.12.2018 को प्राप्त होने से अतः उसके द्वारा माह नवम्वर व दिसम्बर 2018 की राशन सामग्री पॉसमशीन से दोनो माह का वितरण उसने एक साथ चालू किया। इस सम्बध में जिला रसद अधिकारी द्वारा राशन कार्डो की

एन्ट्री के आधार पर यह पाया गया है कि उपभोक्ताओं को एक माह का राशन दिया गया है। इसके विपरीत अपीलान्ट द्वारा उपभोक्ताओं के शपथ पत्र पेश किये है जिनके अनुसार दोनों माह का गेहूँ प्राप्त हुआ है। इस सम्बध में यह उचित पाया जाता है कि जिला रसद अधिकारी द्वारा यह जॉच की जाये कि क्या वास्तविक रूप से अपीलान्ट को गैंहू माह नवम्बर व दिसम्बर 2018 का लगभग एक साथ प्राप्त होने से हुआ तथा शेष रहे शिकायतकर्ता जिनके शपथ पत्र अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये है उनको वास्तविक रूप एक माह का ही राशन प्राप्त हुआ है। महज इस आधार पर कि कथिपय उपभोक्ताओं के शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये है उसका प्राधिकार पत्र निरस्त किया जावे पूर्ण न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। अपीलान्ट द्वारा पॉस मशीन से उपभोक्ताओं को केरोसिन वितरण का कथन किया गया है। अतः जिला रसद अधिकारी द्वारा उन उपभोक्ताओं के बयान लिये जाकर सन्तुष्टि की जावे कि इन उपभोक्ताओं को माह नवम्बर व दिसम्बर–18 में केरोसिन प्राप्त नहीं हुआ अथवा दुरूपयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश में अन्त्योदय राशनकार्डधारियों को चीनी प्राप्त नहीं होने के आरोप के सम्बध में कोई विवेचन नहीं किया गया जाना दृष्टिंगत होता है। ऐसी स्थिति में न्याय की दृष्टि से अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाई जाती है। अतः प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित योग्य पाया जाता है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.5.2020 अपास्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि उपरोक्त विवेचन अनुसार पूर्ण जॉच की जाकर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर तीन माह में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हों ।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)